पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल बोरझार

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA AFS BORJHAR

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

प्रवेश सूचना (ऑफ़लाइन मोड)

Date: 06.05.2025

कक्षा XII विज्ञान, कला व वाणिज्य वर्ग में सत्र 2025-26 के लिए नवीन प्रवेश सूचना

(सिर्फ श्रेणी 1 व 2 के अभिभावकों के बच्चों के प्रवेश हेतु)

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल बोरझार में कक्षा 12 **विज्ञान (13), कला(7) व वाणिज्य वर्ग(12)** में रिक्तियां होने के कारण सिर्फ प्रवेश हेतु पंजीकरण दिनांक **07-05-2025 (बुधवार)** प्रातः **9.00** बजे से **16-05-2025 (शुक्रवार) शाम 04.00** बजे तक किया जाएगा | **यह पंजीकरण सिर्फ श्रेणी 1 व 2 के अभिभावकों के बच्चों के प्रवेश हेतु ही मान्य है |** इन कक्षाओं में प्रवेश हेतु पंजीकरण हेतु प्रपत्र (Registration form) विद्यालय से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है | विधिवत भरे हुए पंजीकरण प्रपत्र को सभी आवश्यक दस्तावेजों **(श्रेणी 1 व 2 के सत्यापन हेतु सेवा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अभिभावक एवं बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का PEN, APAAR आई डी, सीबीएसई का कक्षा 11 का पंजीकरण कार्ड, रक्त समूह प्रमाण पत्र, कक्षा 11 के प्रगति पत्र की प्रति)** की सत्यापित प्रति के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि तक विद्यालय में जमा करना होगा | इन कक्षाओं में प्रवेश हेतु अनंतिम सूची दिनांक **21.05.2025** को जारी की जाएगी |

कक्षाओं में सीटों का आरक्षण के.वि.सं. के प्रवेश दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा | विद्यालय में नवीन प्रवेश केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार व किसी कक्षा में उपलब्ध नवीनतम रिक्तियों के आधार पर किया जाता है | अत: केवल पंजीकरण मात्र से ही प्रवेश का अधिकार नहीं होगा | यदि अभिभावक द्वारा आवेदन पत्र में कोई गलत / भ्रामक जानकारी दी जाती है तो केवि में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा | श्रेणी 1 व 2 के अभिभावकों का क्रमश मतलब है : -

1. केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों एवं भूतपूर्व –सैनिकों के बच्चे |
2. भारत सरकार के स्वायत्त निकायों /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों /उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे |

   ऐसे मामलों में प्रवेश के लिए पात्रता की निम्न शर्तें भी लागू होंगी : -

   (i) विद्यार्थी ने कक्षा 11 में सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय से उसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो |

   (ii) विद्यार्थी ने कक्षा 11 की परीक्षा में कम से कम 55% अंक प्राप्त किए हो |

   (iii) विद्यार्थी केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा निर्देशों के अनुसार हर प्रकार से पात्र होना चाहिए |

   (iv) विद्यार्थी द्वारा चयन किए जाने वाले विषयों का संयोजन इस विद्यालय में उपलब्ध में होना चाहिए |

प्राचार्य/Principal